



बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC-229

प्रेषक,

ए० के० पाण्डेय, भा० व० से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
सारण वन प्रमंडल, छपरा।

वरीय परियोजना अभियन्ता,
बिहार राज्य पुल निगम लिमिटेड,
सारण प्रमंडल, छपरा

पटना 14, दिनांक- 18/03/2019

विषय - सारण जिलान्तर्गत छपरा शहर के गाँधी चौक से नगरपालिका चौक के लिये प्रस्तावित पलाई ओवर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.41 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग - भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/ROAD/35534/2018/3001 दिनांक 14.03.2019

महाशय,

प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा भारत सरकार ने विषयांकित परियोजना निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की है-

1. परियोजना निर्माण के क्रम में 2.41 हेक्टेयर अपयोजित होने वाली वन भूमि का NPV की राशि 6.26 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रु० 15,08,660/- (रुपये पन्द्रह लाख आठ हजार छः सौ साठ) मात्र NPV के मद में प्रयोक्ता एजेन्सी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराएगी।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रासंगिक पत्र में अंकित शर्त संख्या-3 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर रु० 257 प्रति मानव दिवस पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु रु० रु० 22,44,774/- (रुपये बाइस लाख चौवालीस हजार सात सौ चौहत्तर) मात्र का प्राक्कलन तैयार किया गया है।

3. उपर्युक्त NPV एवं CA मद की कुल राशि रु० 37,53,434/- (रुपये सैतीस लाख तिरपन हजार चार सौ चौतीस) मात्र को मंत्रालय के वेब-साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराई जाय।

4. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रसंगाधीन पत्र में उल्लिखित कंडिका 1 से 10 में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समेकित प्रतिवेदन इस कार्यालय को यथाशीघ्र समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि भारत सरकार से विषयाधीन मामले में अन्तिम स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाई की जा सके।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/—

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक— FC-229

दिनांक— 18/03/2019

प्रतिलिपि— वन संरक्षक सीवान अंचल, सीवान को सानुलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(ए० के० पाण्डेय)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

0/C